



उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन,
6 महात्मा गांधी मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ

साहित्यकारों से प्रस्ताव आमंत्रित

साहित्यकार कल्याण कोष योजना के अन्तर्गत विषम आर्थिक स्थितिग्रस्त साहित्यकारों को जिनकी वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से) रुपये पांच लाख तक है तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, उन्हें अधिकतम रुपये पचास हजार तक अनावर्तक चिकित्सा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन के साथ तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र एवं चिकित्सक का प्रमाण-पत्र, दो साहित्यकारों की संस्तुतियाँ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

उक्त योजना की नियमावली एवं आवेदन पत्र का प्रारूप संस्थान कार्यालय से किसी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है। संस्थान में प्रार्थना पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 21 सितम्बर, 2024 है। योजनाओं का विवरण एवं प्रार्थना पत्र का प्रारूप संस्थान की वेबसाइट www.uphindisansthan.in पर भी उपलब्ध है।

आर.पी. सिंह, आई.ए.एस
निदेशक